

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014 - 1568

Dated: 18/7/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 05-79-46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Kumarsain Division, HP PWD Kumarsain District Shimla for Construction of link road Galaghatti to Dawala road (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Kumarsain in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 05-79-46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure VI.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above


Rohan Chand Thakur
District Collector
Shimla District (H.P.)
(Full name and official seal of the District Collector)
Signature

No. SML-SR-Acq. (57)/2015--
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla District Shimla, H.P.

Dated Shimla 171001, the

8 th August, 2017

2237
17/8/2017

CORRIGENDUM

In partial modification of this office letter No. SML-SR-, (57)/2014-1568 dated 18-07-2017, vide which the Forest Right Act Certificate under FCA,1980 was issued in favour of the Executive Engineer, Kumarsain Division, HPPWD, Kumarsain District Shimla for the construction of Galaghatti to Dawala road in tehsil Kumarsain District Shimla. It may be read as link road "Galanghatti to Dawala Reog".



Collector,
Shimla District Shimla

Endst. No. SML-SR-Acq.(57)/2015- 617
Copy to:-

Dated 8-8-17

1. The Sub-Divisional Officer (Civil) Cum- Chairman Sub-Division Level Forest Rights Committee, Rampur District Shimla for information w.r.t. his letter No. RMP-SDK/2017-883 dated 21-07-2017.


Collector,
Shimla District Shimla

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), KUMARSAIN,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the Sub- Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act,2006.

A meeting of the Sub Division Level Committee of Kumarsain Sub- Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, IAS, Sub Divisional Officer(C), Kumarsain, Distt. Shimla, H.P. on 07.06.2017 at 11:00 A.M. at Kumarsain in which the applications of the applicants of **Gram Sabha Jadoon** claiming rights in area measuring 05-79-46 hectares of land in Forest Division Kotgarh for the **construction of Link Road Galanghatti to Dawala, Distt. Shimla** under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Forest Right Committee Reog** were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and details discussions, the claim of the applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place: Kumarsain

Dated: 07-06-2017

SDO(Civil)-cum-Chairman,
Sub Division Level Committee (FRA)
Kumarsain
District Shimla

AP

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 07-07-2017 at 3.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Jadoon, forest area(s) 05-79-46 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Kumarsain were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Kumarsain, no application was received from Gram Sabha claiming right in 05-79-46 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 07-07-2017


Deputy Commissioner-Cum-Chairman



पिछड़ी पंचायत

विकास अण्ड नारकण्डा, जिला शिमला (८०० प्र०) १७१२१३
पंचायती राज विभाग

प्रति लिपि प्रस्ताव संख्या 10 (८८) जो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठक में दिनांक 14/01/2017 को 126/346 सदस्यों की उपस्थिति में प्रधान ग्राम पंचायत ७८ द्वारा की अध्यक्षता में पारित किया गया।

क्रमांक..... 10

दिनांक १५/०१/८७

विषय:- नि० एड रेवा घोला गोला अर्थ बनाने का उत्तम ---
 जो वी यांग से आ चूके हैं। ऐसी समस्ति द्वे उत्तम घोला का
 जो कि पांच घोला वाली घोला, रेवा व इसका उत्तराला ऐ वाली का
 आपनी नहीं है। पिला किए नी यांग से आ घोला को कोई
 रिपारी नहीं है। आगे यांग से आ घोला उत्तराला है तु (F.R.A) के तहे

ની સેવા કોણ હેઠળ રાજકુમાર અનુભવના, પૌંડિ વિનોદ, રાજી માટે વાનોદાની

11 अप्रैल २००८

२०/७ श्रीमं पंचायते डॉ अद्वैत
विकास खण्ड नारकण्डा
जिला शिमला (हि. प्र.)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा रेवा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ।

दिनांक २०-४-२०१७

वन अधिकार समिति ग्राम सभा रेवा वरी बैठक आज दिनांक २०-४-२०१७ को ११-०८ बजे बजे स्थान जंगल में श्री/ श्रीमति रमेश देव की अध्यक्षता में की गई जिसमें २०१-२०२० गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अनिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल वन क्षेत्र में (जिसमें लकड़ी विभाग द्वारा लकड़ी बाजार के निर्माण के लिए ०५-७९-५० हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया है:-

क्र०सं०	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.	<u>रेवा</u> <u>दग्धाली</u>	<u>बालुंजाम</u>	
2.	<u>दुलाल</u>		

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

क्र०सं० पात्र ग्राम वासी का नाम

1. —
2. —

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

८१२ जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रेवा
दिनांक २०-४-२०१७

रमेश
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

ग्रामवासी/ ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अनिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जाटूं
प्रतिलिपि प्रस्तावदिनांक 14/01/2017प्रस्ताव संख्या 10

ग्राम सभा जाटूं की बैठक आज दिनांक 14/01/2017 को
11 लियु बजे स्थान जाटूं में श्री/ श्रीमति प्रो. रामलीला गांव के अनुसूचित जनजाति
 और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जाटूं
जाटूं जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें जाटूं विभाग द्वारा जाटूं जंगल/ वन क्षेत्र
 निर्माण के लिए OS-19-46 हैं) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए
 दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा
 की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के सार्थ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के
 उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया है:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.	<u>जाटूं, रेका व रामलीला</u>	<u>जाटूं जाटूं</u>	<u>नियमानुसार</u>
2.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इस खण्ड स्तर की समिति
 को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>जाटूं, रेका व रामलीला</u>

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जाटूं जंगल/ वन क्षेत्र में कोई
 भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जाटूं
दिनांक 14/01/2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा जाटूं

प्राप्ति दिवाली वर्ष 2017

दिक्षित दावे को निरस्त करता है

ग्रामवासी/ ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन
 किया है।

प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की
 अनुमति दी जानी है।